New Zealand Traveller Declaration फैक्टशीट

आओटियारोआ न्यूज़ीलैंड में हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों को **New Zealand Traveller Declaration (NZTD)** पूरा करना होगा।

हमारी धरती (हमारा देश) कीमती है, एक मूल्यवान धरोहर। कृपया हमारे तांगाता और हमारे फेनुआ — हमारे लोगों और हमारी भूमि को — सुरक्षित रखने में मदद करें।

TravellerDeclaration.govt.nz पर अपनी डिजिटल घोषणा करें या NZTD ऐप को डाउनलोड करें।

आपको अपनी घोषणा को पूरा करने के लिए क्या चाहिए

- पासपोर्ट का ब्यौरा
- न्यूज़ीलैंड के लिए उड़ान का ब्यौरा
- संपर्क जानकारी
- हाल ही का यात्रा इतिहास
- आप न्यूज़ीलैंड में क्या ला रहे हैं, इसके बारे में जानकारी
  - **mpi.govt.nz/CanIBringIt**
  - **customs.govt.nz/PRI-traveller**
- यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो आपके वीसा या NZeTA (न्यूज़ीलैंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी) सहित आप्रवासन स्थिति*

अपनी घोषणा पूरी करने में किसी की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। या आप आगमन पर एक पेपर घोषणा पत्र भर सकते हैं।

बच्चों और शिशुओं समेत प्रत्येक यात्री के लिए एक अलग-अलग New Zealand Traveller Declaration भरा जाना जरूरी है।

इसे पूरा करना मुफ्त है और इसमें लगभग 10 मिनट लगते हैं।

आप अपनी डिजिटल घोषणा कब जमा कर सकते हैं

आप न्यूज़ीलैंड की अपनी यात्रा शुरु करने के 24 घंटों के भीतर अपनी घोषणा सबमिट (जमा) कर सकते हैं। आप इसे न्यूज़ीलैंड में पासपोर्ट नियंत्रण पर पहुंचने तक अपडेट कर सकते हैं।

एक बार जब आप अपना घोषणा पत्र जमा कर देते हैं, तो आपको एक ईमेल प्राप्त होगा जो आपको बताएगा कि जब आप न्यूज़ीलैंड में प्रवेश करते हैं, तो जो आपने हमें बताया है उसके आधार पर आपको क्या जानकारी होनी चाहिए।

आपको कोई दस्तावेज अपलोड करने या कुछ भी प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है।

कुछ खाद्य पदार्थ, उपयोग किए गए बाहरी उपकरण तथा पशु और पौधों के उत्पाद न्यूज़ीलैंड में नहीं लाए जा सकते हैं। उनमें हानिकारक कीट और बीमारियां हो सकती हैं।

आपको किसी भी दवा, तम्बाकू, शराब और नकद NZ$10,000 और उससे ज्यादा या उसके बराबर धनराशि की घोषणा करने की आवश्यकता हो सकती है।

Te Kāwanatanga o Aotearoa
New Zealand Government

New Zealand Traveller Declaration | Whakapuakanga Tangata Haere ki Aotearoa

अपनी डिजिटल घोषणा में बदलाव करना

एक बार जब आप अपनी घोषणा शुरु कर देते हैं, तो आपको एक संदर्भ संख्या ईमेल की जाएगी जिसका उपयोग आप अपनी घोषणा को दोहराने, पूरा करने या उसमें बदलाव करने के लिए कर सकते हैं।

यदि आप इसमें कोई बदलाव करते हैं तो आपको अपनी घोषणा को फिर से सबमिट करना होगा।

न्यूज़ीलैंड में पासपोर्ट नियंत्रण से गुजरने के बाद अब आप अपनी डिजिटल घोषणा में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं।

अगर आप कुछ घोषित करना भूल गए हैं, तो आपको सीमा अधिकारी से बात करने की जरुरत होगी।

जब आप न्यूज़ीलैंड में आगमन करते हैं

अगर आपने एक डिजिटल घोषणा पूरी कर ली है, तो आपको कागज का घोषणा पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है।

जब आप अपने पासपोर्ट को eGate पर स्कैन करते हैं या न्यूज़ीलैंड में आगमन पर सीमा अधिकारी द्वारा इसकी जाँच की जाती है तो आपकी घोषणा की स्वचालित रुप से (अपने आप) जाँच की जाएगी।

आपके बैग का एक्स-रे और जांच की जा सकती है। यदि आपने प्रतिबंधित या निषिद्ध वस्तु की घोषणा नहीं की है, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है या मुकदमा चलाया जा सकता है।

न्यूज़ीलैंड की यात्रा के लिए चैकलिस्ट

- ☐ जांच कर लें कि आपका पासपोर्ट वैध है
- ☐ अगर आपको इसकी आवश्यकता है, तो वीसा या NZeTA के लिए आवेदन करें*
- ☐ अपनी उड़ान बुक करें
- ☐ जांच कर लें कि आप न्यूज़ीलैंड में क्या ला सकते हैं
- ☐ अपनी यात्रा शुरु करने के 24 घंटे के भीतर अपना NZTD सबमिट करें

*वीसा या NZeTA (New Zealand Electronic Travel Authority)

न्यूज़ीलैंड में प्रवेश करने के लिए आपके पास वैध वीसा होना चाहिए या वीसा से छूट वाले देश के पासपोर्ट पर यात्रा करनी चाहिए।

यदि आप वीसा से छूट प्राप्त देश से हैं, तो यात्रा करने से पहले आपको NZeTA की आवश्यकता होगी (जब तक कि आप ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट पर यात्रा नहीं कर रहे हों)। वीसा से छूट वाले देशों और NZeTA के बारे में अधिक जानकारी: **immigration.govt.nz/new-zealand-visas** से प्राप्त करें

हमारा जीवन जीने का तरीका आपके सही काम करने पर निर्भर है।

कॉन्टेक्ट सैंटर (संपर्क केंद्र) का विवरण

यदि New Zealand Traveller Declaration के बारे में आपके कोई प्रश्न हों तो हमारे कॉन्टेक्ट सैंटर को फोन करें। यह सार्वजनिक छुट्टियों समेत दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन खुला रहता है।

- **+644 931 5799** – अंतरराष्ट्रीय फोन करने वालों के लिए (कृपया ध्यान दें कि आपके सेवा प्रदाता द्वारा शुल्क लागू किया जा सकता है)
- **0800 359 269** – न्यूज़ीलैंड में टोल फ्री नंबर
- **1800 359 269** – ऑस्ट्रेलिया में टोल फ्री नंबर

या आप हमें **TravellerDeclaration.govt.nz/contact** के माध्यम से एक ऑनलाइन संदेश भेज सकते हैं

हमारा लक्ष्य 12 घंटे के भीतर जवाब देना है।

v1-06-2023